कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

पत्रांक 1584 /3 सी(व0भू0) दिनांक 04 /05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 0.018 है0 वन भूमिका गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/120059/2011)।

सन्दर्भ— उत्तराखण्ड शासनादेश सं0—588/X-3-20/1 (59)/2021 dt 10.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है:—

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक की रख—रखाव हेतु धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या 1**— प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख—रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 1504030.00 मात्र चालान नं 61120059881 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (Civil) संख्या :202/1995 के अन्तर्गत IA नंबर 556 एवं भारत सरकार पत्र सं05—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या 2**— प्रस्तावित कार्य में एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में रू0 11826.00 मात्र चालान नं 61120059881 द्वारा जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	**शर्त संख्या 3**— प्रस्तावित कार्य में शासन स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर से लोक निर्माण विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण—पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं05—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 25229 कारपोरेशन बैंक, नई दिल्ली में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0बी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	**शर्त संख्या 4**— उक्त प्रस्ताव 1 है0 से कम है।

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	**शर्त संख्या 5–** प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	**शर्त संख्या 6–** लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावति मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।
7	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार,पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	**शर्त संख्या 7–** लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली–भॉति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या 8– प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तो का पालन कर आख्या प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

04/06/24.
(इं0 विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/120059/2011)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 1504030.00 मात्र चालान नं 61120059881 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/120059/2011)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य में एन0पी0वी0 की धनराशि वर्तमान दरों से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित करवाकर वन विभाग के पक्ष में रू0 11826.00 मात्र चालान नं 61120059881 द्वारा जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/120059/2011**)।

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/120059/2011**)।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव 1 है0 से कम है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/120059/2011)।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/120059/2011**)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावति मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/120059/2011**)।

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली—भॉति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत निरई मोटर मार्ग के किमी0 1.80 से औलिया गांव लछमपुर व सूपाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/120059/2011)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तो का पालन कर आख्या प्रेषित की जा रही है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा